

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूददेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा—गालुड़ीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,
जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची
मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित
निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ०४/०३/१९

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018–19 के मांग संख्या— 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष—२७००—मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष—०१— मुख्य सिंचाई—वाणिज्यिक, लघु शीर्ष—००१ निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष—०२—स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बजट मुख्य शीर्ष 2700—मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट—I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कायालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / २७००—मुख्य सिंचाई	०१ मुख्य सिंचाई—वाणिज्यिक	००१—निदेशन तथा प्रशासन / ०२—स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	55.611

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये पचपन लाख एकसठ हजार एक सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018–2019 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 18512.19 लाख (एक सौ पचासी करोड़ बारह लाख उन्नीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दुष्ट)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31मार्च 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :- यथोक्त


 (अरुण कुमार सिंह) ७.३.१९
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- २०५


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसौंवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

ज्ञापांक :- २०५


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


 (रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव


 (अरुण कुमार सिंह) ७.३.१९
 अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-02-स्वर्णिरेखा बॉध परियोजना

पत्रांक २०८ दिनांक ०५/०३/१५ का अनुलग्नक


परिशिष्ट I

क्रम संख्या का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-2019		विस्तृत शीर्ष-01-जेटन एवं जहरीली वाया		विस्तृत शीर्ष-02-जहरीली वाया		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक वाया		विस्तृत शीर्ष-04-मोटराइड्स		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य वाया		उपर्युक्त लाख रुपये में		
	बैठन	के द्वारा का बकाया बेतानी	वेतन	के द्वारा का बकाया बेतानी	देशी वाया	वाया	देशी वाया	वाया	दूरभाष	वर्दी	विद्युत वाया	मोटराइड्स	इंजन एवं मस्माति	विद्युत प्रभाव	कुल योग
1 प्रधासक चर्चा रेखा बहुउद्दीय परिवर्तन आदेशपुर जमशेदपुर	पूर्ति का आवर्टन अतिरिक्त आवर्टन	144,000 0,000 0,000	0,200 0,000 0,000	1,000 2,000 0,800	0,100 0,100 0,000	1,000 2,500 0,000	0,100 0,000 0,000	2,500 0,000 0,000	1,12 12 12	11 13 13	14 14	15 15	151.600	0,300	151.900
2 अधियोग्यता-ईचानगुडी वाया कमलेवस्थ आदिवायुर	पूर्ति का आवर्टन अतिरिक्त आवर्टन	125,260 0,000 0,000	0,400 0,000 0,000	1,000 1,300 0,500	0,100 0,100 0,075	1,000 2,400 0,000	0,100 0,000 0,000	2,400 0,000 0,000	8,000 8,000 8,000	8,000 8,000 8,000	130.935	8,000	138.935	8,000	130.935
3 लोपाकण आयोजन एवं भोवेटरिया अंचल जमशेदपुर	पूर्ति का आवर्टन अतिरिक्त आवर्टन	156,000 0,000 0,000	0,500 0,000 0,000	0,600 0,150 0,150	0,100 0,175 0,000	0,600 0,600 0,000	0,100 0,000 0,000	0,600 0,000 0,000	10,000 10,000 10,000	10,000 10,000 10,000	158.025	10,000	168.025	10,000	158.025
4 खरकड़ निर प्रमदल चाईवासा	पूर्ति का आवर्टन अतिरिक्त आवर्टन	166,000 0,000 0,000	0,500 0,000 0,000	0,600 0,150 0,150	0,100 0,175 0,000	0,600 0,600 0,000	0,100 0,000 0,000	0,600 0,000 0,000	12,000 12,000 12,000	12,000 12,000 12,000	377.290	12,000	342.090	12,000	377.290
5 लोपाकण प्रमदल सं-०३ अदिवायुर	पूर्ति का आवर्टन अतिरिक्त आवर्टन	337,940 0,000 0,000	0,200 0,000 0,000	0,400 0,600 0,600	0,000 0,650 0,650	0,800 1,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,800 1,000 0,000	1,300 1,300 1,300	1,300 1,300 1,300	328.450	1,300	328.450	1,300	328.450
6 विशेष मू-अजन पदार्थ रेखा परियोजना आदिवायु-जमशेदपुर	पूर्ति का आवर्टन अतिरिक्त आवर्टन	324,000 0,000 0,000	0,500 1,000 1,000	1,000 0,600 0,150	0,200 0,400 0,400	0,600 0,000 0,000	0,200 0,000 0,000	0,600 0,000 0,000	1,500 1,500 1,500	1,500 1,500 1,500	328.650	1,500	328.650	1,500	328.650
7 सिचाई प्रमदल-गावडी वाया अतिरिक्त आवर्टन	पूर्ति का आवर्टन अतिरिक्त आवर्टन	247,540 0,000 0,000	0,200 1,000 0,600	1,000 0,600 0,150	0,000 0,400 0,400	0,600 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,600 0,000 0,000	0,300 0,300 0,300	0,300 0,300 0,300	0,400 0,400 0,400	0,400 0,400 0,400	250.590	0,200	250.590
8 अतिरिक्त आवर्टन का योग	कुल अतिरिक्त आवर्टन	54,781 0,000 0,000	0,430 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,400 0,400 0,400	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	55,611	0,200	55,611

नोट: 1. वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधिवेद-14/2010-39/वर्जित दद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विप्रकीरण के आधार पर ही भुगतान अनुमत्याच्छाय है।

• कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधि.)

रूपये पचपाँच लाख एकसठ हजार एक सौ मात्र

रकेश कुमार सिंह

(अरुण कुमार सिंह) दा. ३०९
अप्र मुख्य सचिव